लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102/2021 (GCMS 2021/461)	02.11.2021	24.11.2021

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./102/2021(सू.अ.)(24.11.2021) से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.11.2021 से पूर्व कर्मेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 24.11.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान–बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/621 दिनांक 22.11.2021 से कर्मेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र पुरोहित, निवासी बून्दीरोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2021 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 20.10.2021 को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में रीडर, न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं संबंधित समस्त विभागों/कार्यालयों को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/80 दिनांक 22.11.2021 से सूचना चाही गई है जो यथाशीघ्र प्राप्त कर प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जायेगी, अतः इस हेतु कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता हैं। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् वांछित सूचनाओं से संबंधित रिकॉर्ड तलब किए गए जो अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा आज ही जरिये प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया जो रिकॉर्ड पर होकर पत्रावली के हमकिता हैं। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/621 दिनांक 22.11.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों एवं तलब किए गए रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त समय चाहा हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24.11.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)